न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

रेफरेंस/एल.आर./4668/2005/ अलवर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, थानागाजी जिला अलवर

....प्रार्थी

बनाम

1. श्री बालऋषी पुत्र हरिप्रसाद, जाति ब्राह्मण, (मृतक)
1/1. श्री सत्यनारायण पुत्र श्री बालऋषी, निवासी मान्दरी, तहसील थानागाजी जिला अलवर
1/2. श्री पुरूषोतम पुत्र श्री बालऋषी, निवासी मान्दरी, तहसील थानागाजी जिला अलवर
2. रघवीर प्रसाद शर्मा पुत्र चिरंजीलाल पुजारी मंदिर श्री सीतारामजी व हनुमानजी महाराज थानागाजी
3. हरिशंकर शर्मा पुत्र चिरंजीलाल पुजारी मंदिर श्री सीतारामजी व हनुमानजी महाराज थानागाजी
4. किशनलाल पुत्र चिरंजीलाल पुजारी मंदिर श्री सीतारामजी व हनुमानजी महाराज थानागाजी

....अप्रार्थीगण

एकल पीठ
श्री बजरंग लाल शर्मा, सदस्य

उपस्थितः

श्रीमती पूनम माथुर : अति. राजकीय अधिवक्ता
श्री अशोक अग्रवाल : अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या–1/1,1/2
श्री आर. पी. शर्मा : अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या–2 से 4

निर्णय

दिनांकः 5.10.2012

यह रेफरेंस राज्य सरकार की ओर से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 82 के अंतर्गत अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम), अलवर के निर्णय दिनांक 20/08/2005 के आधार पर प्रस्तुत किया गया है।

2. इस रेफरेंस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, थानागाजी ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम), अलवर के न्यायालय में रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया जमाबंदी खेवट खतौनी संवत 2010 से 2018 में ग्राम थानागाजी मादरी मौहल्ला स्थित मंदिर श्री सीतारामजी महाराज एवं हनुमानजी महाराज के खाते में भू प्रबंध से पूर्व खसरा नम्बर 1374 रकबा 1.04 बीधा, खसरा नम्बर1375 रकबा 0.14 बीधा, खसरा नम्बर 1378 रकबा 1.10 बीधा, खसरा नम्बर 1379 रकबा019 बीधा, खसरा नम्बर 1381 रकबा 0.07 बीधा, खसरा नम्बर 1382 रकबा 0.17 बीधा, खसरा नम्बर 1383 रकबा 0.18 बीधा, खसरा नम्बर 1384 रकबा 0. 16 बीधा, खसरा नम्बर 1385 रकबा 0.18 बीधा, खसरा नम्बर 1386 रकबा 2.05 बीधा, खसरा नम्बर 1387 रकबा 1.06 बीधा, खसरा नम्बर 1388रकबा 1.03 बीधा, खसरा नम्बर 1389 रकबा 1.12 बीधा, खसरा नम्बर 1390 रकबा 3.11बीधा, किता 15 रकबा 18.03 बीघा भूमि दर्ज थी तथा यह भूमि मंदिर की खुदकाश्त में भी दर्ज थी। विवादित भूमि के भू प्रबंध के दौरान नये खसरा नम्बर 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1860, 1862, 1863 किता 10 रकबा 18.03 बीघा बनाये गये है। भू प्रबंध से पूर्व भूमिधारी के कॉलम में मंदिर श्री सीतारामजी महाराज एवं पुजारी चिरंजीलाल पुत्र हरिप्रसाद अंकित था एवं खातेदार का कॉलम में खुदकाश्त माफीदार जरिए बालऋषि दर्ज था। भू प्रबंध संवत 2028 में खाता संख्या 751 पर उक्त खसरा किता 10 रकबा 18 बीघा 3 बिस्वा पर नाम भोक्ता कॉलम संख्या–3 में माफीदार श्री सीताराम जी महाराज मौके देह बहतमाम पुजारी चिरंजीलाल पुत्र हरिप्रसाद ब्राह्मण साकिन देह माफीदार एवं नाम कृषक कॉलम संख्या–4 में बालऋषि पुत्र हरिप्रसाद ब्राह्मण सा. देह अंकित कर दिया। राज्य सरकार के आदेश 1992 के तहत कॉलम संख्या 3 में से पुजारी का नाम विलोपित कर दिया गया। कॉलम नम्बर 3 में भूमिधारी के स्थान पर माफीदार श्री सीतारामजी महाराज अंकित है एवं कॉलम संख्या–4 में बालऋषि पुत्र हरिप्रसाद ब्राह्मण सा. देह खातेदार बदस्तूर अंकित है। जबकि जमाबंदी संवत 2018 में प्रश्नगत भूमि माफी मंदिर श्री सीताराम जी महाराज बहतमाम पुजारी चिरंजीलाल के नाम का अंकन है और अप्रार्थी जरिये काश्त का अंकन है। भू प्रबंध जमाबन्दी सम्वत् 2028 में मंदिर मूर्ति का नाम विलोपित करते हुए प्रश्नगत भूमि अप्रार्थी संख्या–1 मृतक बालऋषी की खातेदारी में विधि विरूद्ध तरीके से गलत इन्द्राज कर दिया गया है। अतः प्रश्नगत भूमि को पुनः मंदिर मूर्ति के नाम दर्ज करने की कार्यवाही की जावे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम), अलवर ने अपने निर्णय दिनांक 20/08/2005 से भू प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई कार्यवाही को प्रारम्भ से शून्य मानते हुए प्रश्नगत भूमि को मंदिर मूर्ति श्री सीतारामजी महाराज व

हनुमानजी महाराज के नाम दर्ज करने के लिये यह रेफरेंस प्रकरण इस न्यायालय को प्रेषित किया है।

3. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस इस रेफरेन्स प्रकरण पर सुनी गई।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता का बहस में कथन है कि एकीकरण जमाबन्दी सम्वत् 2018 में ग्राम थानागाजी में मादरी मौहल्ले में स्थित प्रश्नगत भूमि माफी मंदिर श्री सीताराम जी महाराज बहतमाम पुजारी चिरंजीलाल के नाम का अंकन है यह भूमि मंदिर की खुदकाश्त दर्ज थी कालान्तर में भूमि माफी मंन्दिर का नाम विलोपित कर दिया गया और खातेदारी अप्रार्थी बालऋषी पुत्र हरिप्रसाद के नाम दर्ज कर दी गई। जमाबन्दी सम्वत् 2028 में मंदिर मूर्ति का नाम विलोपित करते हुए प्रश्नगत भूमि अप्रार्थी की खातेदारी में विधि विरूद्ध तरीके से गलत इन्द्राज कर दिया गया है। अतः प्रश्नगत भूमि को पुनः मंदिर मूर्ति के नाम दर्ज करने की कार्यवाही की जावे। उनका कथन है कि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है तथा उनकी भूमि को किसी भी दृष्टि से किसी व्यक्ति विशेष के खाते में दर्ज नहीं किया जा सकता। इस प्रकार भू प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई यह कार्यवाही विधि विरूद्ध एवं प्रारंभ से ही शून्य व व्यर्थ है। राजकीय अधिवक्ता का बहस के अंत में कथन है कि प्रश्नगत भूमि को मंदिर मूर्ति के नाम दर्ज किया जावे तथा इस भूमि के संबंध में जो भी राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज किये गये हैं उन्हें विधि विरूद्ध घोषित करते हुए निष्प्रभावी घोषित किया जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–1 ने बहस में कथन किया कि यह भूमि माफी की थी तथा जागीर पुनर्ग्रहण होने के साथ ही अप्रार्थी संख्या–1 के खाते में दर्ज कर दी गई तथा अप्रार्थी संवत 2008 से ही विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार है। उनका यह भी कथन है कि यह रेफरेन्स मियाद बाहर है। उनका बहस में आगे तर्क है कि मंदिर के नाम प्रश्नगत भूमि कभी खातेदारी की नहीं रही बल्कि बालऋषी पुत्र हरिप्रसाद के नाम खातेदारी की थी। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र सारहीन होने व मियाद बाहर होने के कारण खारिज किया जावे।

6. विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–2 से 4 ने बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि माफी मंदिर की है और अप्रार्थीगण बतौर पुजारी काश्तकार हैं। उनका कथन है कि पुजारियों के हितों के संबंध में एक दीवानी न्यायालय में भी वाद विचाराधीन है। अप्रार्थीगण 2 से 4 को देवस्थान विभाग ने पुजारी घोषित कर रखा है। अतः अप्रार्थी संख्या–1 का नाम हटाया जाकर मूर्ति मंदिर श्री सीतारामजी के नाम दर्ज की जावे।

7. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

8. यह एक तथ्यात्मक स्थिति है कि रेफरेन्स प्रकरण विलम्ब से पेश हुआ है। रेफरेन्स प्रकरणों को दायर करने के लिए अधिनियम में कोई मियाद निर्धारित नही की गई है। माननीय उच्च न्यायालय की वृहद पीठ द्वारा चिमन लाल बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (2000(1) डब्लूएलउन 207) के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां विशेष अधिनियम में रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत करने हेतु कोई मियाद निर्धारित नही की गई है वहां न्यायालय को मियाद निर्धारित करने का कोई अधिकार नही है माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के संगत अंश निम्न प्रकार से हैः–

"In view of the above discussion, we are of the opinion that it is not the function of the court to prescribe the limitation where the legislature in its wisdom had thought it fit not to prescribe any period. As held by the Supreme Court in Ajaib Singh's case the courts only interpret law and do not make laws. Personal view of the Judge presiding the court cannot be stretched to authorise them to interpret law in such a manner which would amount to legislation intentionally left over by the legislature. Hence we are of the opinion that when no period of limitation under Rule 272 of the Rules 1961 is prescribed by the legislature then we cannot prescribe any period of limitation that in what time the revisional powers can be by the authority under Rule 272 of the 1961 Rules. When no period of limitation is provided then in our opinion the same has to be exercised within a reasonable time and that will depend upon facts and circumstances of each case like (1) when there is fraud played by the parties; (ii) the orders are obtained by mis-representation or collusion with public officers by the private parties; (iii) Orders are against the public interest; (iv) the orders are passed by the authorities who have no jurisdiction; (v) the order are passed in clear violation of rules or the provisions of the Act by the authorities; and (vi) Void orders or the orders are void at initio being against the public policy or otherwise. The common law doctrine of public policy can be enforced wherever an action affect/ offends the public interest or where harmful result of permitting the injury to the public at large is evident. In such type of cases, revisional powers can be exercised by the authority at any time either suo moto or as and when such orders are brought to their notice."

9. उपरोक्त निर्णय के अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अजायबसिंह के प्रकरण **(JT 1999 (3) SC 38)** में भी यह अभिमत प्रकट किया है कि मियाद निर्धारित करने का कार्य न्यायालयों का नही है। इस प्रकार उपरोक्त दोनों न्यायालयों के निर्णयों के प्रकाश में इस न्यायालय का विनम्र मत है कि मंदिर मूर्ति के हितों के संरक्षण में प्रस्तुत रह रेफरेन्स समयावधि में है, अतः इसका गुणावगुण पर निर्णय किया जाना उचित है।

10. इस प्रकरण में यह एक निर्विवाद तथ्यात्मक स्थिति है एकीकरण जमाबन्दी सम्वत् 2018 में एकीकरण जमाबन्दी सम्वत् 2018 में ग्राम थानागाजी में मादरी मौहल्ले में स्थित प्रश्नगत भूमि माफी मंदिर श्री सीताराम जी महाराज बहतमाम पुजारी चिरंजीलाल के नाम का अंकन है और यह भूमि खुदकाश्त में दर्ज है। कालान्तर में भूमि माफी मंन्दिर का नाम विलोपित कर दिया गया और खातेदारी अप्रार्थी बालऋषी पुत्र हरिप्रसाद के नाम दर्ज कर दी गई। जमाबन्दी सम्वत् 2028 में मंदिर मूर्ति का नाम विलोपित करते हुए प्रश्नगत भूमि अप्रार्थी की खातेदारी में विधि विरूद्ध तरीके से गलत इन्द्राज कर दिया गया है। इस प्रकार यह भली प्रकार सिद्ध है कि प्रश्नगत भूमि माफी की होकर मंदिर की खुदकाश्त भूमि है तथा इसकी काश्त सम्वत 2018 में खुद माफीदार द्वारा की जा रही थी।

11. इस प्रकरण मे अप्रार्थीगण मंदिर मूर्ति के सेवक मात्र थे, उनसे यह अपेक्षित था कि वे मंदिर मूर्ति के हितों की रक्षा करते लेकिन उन्होने मंदिर मूर्ति के हितों के प्रतिकूल मंदिर मूर्ति की भूमि को ही अपनी खातेदारी मे दर्ज करवा लिया। इस प्रकार यह सम्पूर्ण कार्यवाही एक अपराधिक विश्वासघात (criminal breach of trust) जैसी है तथा इस कार्यवाही का मंदिर मूर्ति के हितों पर कुठाराघात हुआ है। अधिनियम की धारा 46 में मदिर मूर्ति को विशेष संरक्षण प्राप्त है तथा इसके प्रभाव से अप्रार्थीगण की काश्त का कोई महत्व नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय ने एआईआर 1998 (राजस्थान) 85 के न्यायिक दृष्टान्त में निम्न निष्कर्ष प्रकट किया हैः–

I. The petitioner-temple was shown as khatedar of the land in dispute and the khatedari rights acrrued in favour of Shri Mangha Ram Pujari would not be legal because of the application of the provisions of section 46 of the 1955 Act.

II. The provisions of section 46 of the Act 1955 Act are based on public policy and have been enacted to secure a laudable object. The provisions of any other act cannot override the special protection accorded to the class of persons mentioned therein. Thus, the protection/ exemption granted to deity a perpetual minor/ permanent disable/ infirm person cannot be taken away by the provisions of any other Act.

III. It is the solemn duty of and legal obligation on the State Administrative Authorities and Courts to protect the interest of minor, disabled person and the deity being perpetual minor, physically disabled and infirm, is entitled to special protection of law.

IV. The entry recorded in favour of Mangha Ram Pujari as khatedar, was an outcome of fraud played by him on the statute as well as on petitioner-deity and thus, has to be treated as null and void.

V. Respondents Nos. 2 and 3, being purchaser from respondents Nos. 4 to 7, cannot claim to have better title than respondents No. 4 to 7 could have, being successors of Mangha Ram Pujari, who had no title, right or interest in the land in dispute in the eye of law as acquisition of khatedari right by him was contrary to law and thus illegal, was obtained by fraud, thus void. Respondents Nos. 2 and 3 are merely trespassers and liable to be evicted forthwith.

VI. It has never been the case of Mangha Ram Pujari or his successors that Shri Mangha Ram was the tenant of the land in dispute and, therefore, he could acquire the khatedari rights under the law. On the contrary, the record proved that in settlement made in 1973, the petitioner-temple was shown as khatedar and the Board did not take note of this important factor, which is sufficient to tilt the balance in favour of the petitioner.

VII. The course of substantial justice cannot be defeated on technicalities. The order passed by the Revenue Appellate Authority had achieved the ends of justice, thus the Board committed a gross error setting aside the same on mere technicalities without appreciating that the revenue authorities were not lacking inherent jurisdiction to decide the issue involved, even if reference had not been made to any statutory provisions.

VIII. Any judgment/ order to which petitioner-temple was not a party cannot be binding on it even if the case was filed to help the present petitioner as the genuineness of the persons, who were claiming to be worshippers etc cannot be examined as the said persons are not before this court. It may be a collusive affair with other interested persons.

IX. The Board of Revenue has been clothed with special powers under the provisions of section 232 of the Act of 1955 to examine a case, where the reference is made by the Collector and fraud etc. has been played by a party. There is no period of limitation to make such a reference. This provision is to provide "substantial justice" to the party, which has been cheated. Thus, Board failed to appreciate the issues involved in its correct perspective.

उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त के अतिरिक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा श्री आईदान बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (11 जुलाई,2000) एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत श्री पृथ्वी लाल बनाम राजस्व मण्डल राजस्थान (जनवरी 29,2004) प्रकरणों के प्रकाश में मंदिर मूर्ति की भूमि पर अन्य किसी व्यक्ति को खातेदारी दिये जाने को विधि विरूद्ध करार दिया है। माननीय उच्च न्यायालय ने श्री आईदान बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के प्रकरण में निम्न प्रकार से अपना अभिमत व्यक्त किया हैः–

Undoubtedly, deity is a minor in perpetuity, but being juristic person, has a judicial status with the power of suing or being sued. Under the provisions of Hindu Minority and Guardianship Act,1956, Immovable properties of a minor cannot be sold without the permission of the Court. Section 11 of the said Act puts an embargo on guardian not to alienate or deal with minor's properties.

There is a distinction between "natural person" and "Juristic person". A natural minor person may have family but a juristic minor person cannot have a family. A deity, being a perpetual minor, is not expected to have personal cultivatory possession or get the land cultivated by labourers employed through his family members. As the law does not expect a person to do some thing which is impossible and a minor's right to be protected by all concerned, the correctness of the judgment in Ram Lal (supra) is doubted if examined from this angle. More so, the proviso that in case of minor, the requirement of personal cultivation need not be necessary by personal supervision has not been considered at all. Thus, the judgment remains per incurium.

Be that as it may, as referred to above, as the entries made by the Settlement Authorities in favour of petitioner's father had been without competence, the acceptance or of the reference cannot be held as suffering from any illegality. Facts of the case do not warrant any interference by this Court in its limited writ jurisdiction. The petition is devoid of any merit and accordingly dismissed.

12. उपरोक्त निर्णय के प्रकाश में अप्रार्थीगण के पक्ष में राजस्व अभिलेखों में जो इन्द्राज किये गये हैं वे एकपक्षीय एवं विधि विरूद्ध होकर मंदिर मूर्ति के हितों के विपरीत हैं। एक शाश्वत अवयस्क व्यक्ति की खातेदारी की भूमि उसके हितरक्षक पुजारी की खातेदारी में दर्ज नही की जा सकती। उपरोक्त निर्णय के प्रकाश में इस न्यायालय का यह अभिमत है कि मंदिर मूर्ति एक शाश्वत नाबालिग व्यक्ति है तथा अपनी खातेदारी की भूमि स्वंय काश्त करने में असक्षम है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत प्रदत्त छूट राज्य की लोक नीति के अंतर्गत प्रदान की गयी है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रदत्त यह विशेष संरक्षण अन्य अधिनियम के प्रावधानों से अप्रभावी है।

13. इस न्यायालय ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20/08/2005 का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया है। इस प्रकरण में जमाबंदी में कृषक के रूप में खुद माफीदार के नाम दर्ज है। यह न्यायालय इस प्रकरण में संलिप्त कृषि भूमि माफी मंदिर श्री सीतारामजी की खातेदारी की भूमि ही मानता है तथा इस भूमि पर कालान्तर में किये गये इन्द्राज स्पष्टतः विधि विरूद्ध हैं। इस प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि जो भी राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज कालान्तर में किये गये हं वे मंदिर मूर्ति को सुनवाई का अवसर दिये बिना मनमाने एवं विधि विरूद्ध

तरीके से किये गये हैं अतः ऐसे प्रकरणों में मियाद सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु विचारणीय नहीं है तथा साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि रेफरेंस के मामलों में अधिनियम के अंतर्गत भी कोई मियाद निर्धारित नहीं की गई है।

14. अतः यह न्यायालय राज्य शासन की ओर से प्रस्तुत इस रेफरेंस प्रकरण को स्वीकार करता है। ग्राम थानागाजी मान्दरी के नये खसरा नम्बरान 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1860, 1862, 1863 किता 10 रकबा 18.03 बीघा भूमि पर अप्रार्थीगण पुजारीगण के पक्ष में विधि विरूद्ध तरीके से दर्ज किये गये है, जो अप्रार्थीगण संख्या 1/1 व 1/2 के पिता बालऋषी पुत्र हरिप्रसाद व उनके फौत होने पर अप्रार्थीगण के पक्ष में हुए इन्द्राजात व्यर्थ एवं प्रभाव शून्य हैं। अतः उक्त प्रश्नगत आराजी पुनः मंदिर श्री सीतारामजी व हनुमानजी की खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार, थानागाजी को दिये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बजरंग लाल शर्मा)
सदस्य